न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 83/2022
निर्णय दिनांक : 23/06/2022

1. ओके प्लस कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्म हाउस डवलपर्स प्रा. लिमि. निदेशक विजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72–ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

वादी

बनाम

1. के. एस. दुआ पुत्र मोहन सिंह, जाति सिख, निवासी सी–424, निर्माण नगर, जयपुर।
2. राजीव गोयल पुत्र प्रेम गोयल, जाति महाजन, निवासी 2/505, रॉयलग्रीन, सिरसी रोड, तहसील व जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिभाषक वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमत होने पर वादी का प्रतिवादीगण विरूद्ध दिनांक 14.09.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/डिक्री/2023/996 दिनॉक 24.01.2023 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खाता संख्या 748/657 में भूमि खसरा नम्बर 4356 रकबा 0.25 हैक्टेयर, कुल किता 1 रकबा 0.25 हैक्टेयर वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज

क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	4356	0.25	चाही 2 जाव 2		ओमप्रकाश जैन पुत्र महावीर प्रसाद सरावगी हिस्सा 6/25, जाति जैन, नि. 1001 बीविंग वास्तु टॉवर, एवर साईन नगर, मलाड, वेस्ट मुम्बई-64 खातेदार, के. एस. दुआ पुत्र मोहन सिंह दुआ हिस्सा 3/25, जाति सिक्ख, नि. सी-424, निर्माण नगर जयपुर खातेदार, राजीव गोयल पुत्र प्रेम गोयल हिस्सा 8/25, जाति महाजन, सा. 2/505, रॉयल ग्रीन, सिरसी रोड, जयपुर खातेदार, हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. मार्फत निदेशक पंजीकृत कार्यालय ए-1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर हिस्सा 8/25 खातेदार
	किता-1	0.25			

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज

क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	4356 में से	0.09	ओमप्रकाश जैन पुत्र महावीर प्रसाद सरावगी हिस्सा 6/25, जाति जैन, नि. 1001 बीविंग वास्तु टॉवर, एवर साईन नगर, मलाड, वेस्ट मुम्बई-64 खातेदार, के. एस. दुआ पुत्र मोहन सिंह दुआ हिस्सा 3/25, जाति सिक्ख, नि. सी-424, निर्माण नगर जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता-1	0.09		
2	4356 में से	0.08	राजीव गोयल पुत्र प्रेम गोयल, जाति महाजन, सा. 2/505, रॉयल ग्रीन, सिरसी रोड, जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता-1	0.08		
3	4356 में से	0.08	ओके प्लस कॉलोनाईजर्स एण्ड फार्म हाउस डवलपर्स प्रा. लिमि. निदेशक विजय कृष्ण मोदी, पंजीकृत कार्यालय 72-ए, किरण पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर खातेदार	चाही 2 जाव 2
	किता-1	0.08		

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।